मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक सी-3-15/84/3/1 भोपाल, दिनांक 26 अप्रेल, 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग ।

- --

ऐसा अनुभव किया जारहा है कि शासकीय कर्मचारियों के भरती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, वेतन निर्धारण आदि से संबधित वैयक्तिक प्रकरणों का निराकरण जिस त्वरित गति से किया जाना चाहिए वैसे नहीं हो पारहा है । इसका एक कारण प्रक्रियात्मक कठिनाई है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग से परामर्श किया जाना इत्यादि । यह तो स्पष्ट ही है और इसमें कोई शंका भी नहीं होना चाहिए कि जब विभागों द्वारा कोई नियम या प्रक्रिया निर्धारित की जाए तो उसके संबध में सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग से जैसी भी स्थिति हो, परामर्श किया जाना चाहिए परन्तु इसका कोई औचित्य नहीं दिखता कि कर्मचारी विशेष के मामले सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग के परामर्श के लिए भेजे जाए, जब तक कि उनमें नियम या निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत कोई कार्रवाई अपेक्षित न हो । इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा स्वंय ही तुरन्त किया जाना चाहिए और अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरणों को सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग की सहमति के लिये नहीं भेजे जाना चाहिए । जब तक विभाग इसमें सतर्कता नहीं बरतेंगे, कर्मचारियों को वगैर किसी कठिनाई एवं निश्चित समयावधि के भीतर न्याय नहीं मिल पायेगा ।

2- अतः उपरोक्त परिस्थिति में आपसे निवेदन है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रकरणों का तुरन्त उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार निपटारा करने की कार्यवाही करें और प्रकरणों को अनावश्यक रूप से सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग के परामर्श के लिये न भेजें ।

(वी०जी० निगम)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक सी-3-15/84/3/1 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 84

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1984 द्वारा निवेदन किया गया था कि शासकीय कर्मचारियों के भरती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित वैयक्तिक प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाना चाहिये और जब तक उक्त बातों से संबंधित नियमों या निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत कोई कार्यवाही अपेक्षित न हो, इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये। उक्त निर्देशों के बावजूद भी ऐसा देखने में आ रहा है कि प्रशासकीय विभाग कर्मचारी विशेष के उक्त विषयों से संबंधित व्यक्तिगत मामले इस विभाग को परामर्श के लिये अभी भी भेज रहे हैं।

2- आपसे पुनः निवेदन है कि इस विभाग के परिपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1984 के अनुसरण में कर्मचारी विशेष के मामले, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के लिये न भेजे जाकर, विभाग उनमें स्वयं निर्णय लें।

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(वी०जी० निगम)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शमा/2784